क्रम संख्या–57

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 18 फरवरी, 2014 ई०
माघ 29, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 72/XXXVI(3)/2014/07(1)/2014
देहरादून, 18 फरवरी, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2014"** पर दिनांक 17 फरवरी, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 05 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2014)

{भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित}

चिकित्सा शिक्षा के विकास और उन्नयन के लिए उत्तराखण्ड में चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना और उससे सम्बन्धित अथवा आनुषंगिक विषयों के लिए–

अधिनियम

अध्याय –एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का नाम हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषायें

2. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस अधिनियम में–

(क) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ख) "उत्तराखण्ड" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(ग) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(घ) "कुलाधिपति" का आशय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अर्थात् उत्ताराखण्ड राज्य के राज्यपाल सें अभिप्रेत है;

(ङ) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के विनियम अभिप्रेत है;

(च) "चिकित्सा विज्ञान" से इसकी सभी शाखाओं में आधुनिक वैज्ञानिक औषध, सम्बन्धित निवारक, सम्पर्वतन रोग मुक्ति और पुनर्वास सेवाएं अभिप्रेत हैं और इसमें शल्य चिकित्सा, प्रसुति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान, भेषज, दन्त विज्ञान, नर्सिंग, परा चिकित्सा और अन्य सम्बन्धित विषय सम्मिलित है ;

(छ.) "चिकित्सा शिक्षा" से एम०सी०आई०/ डी०सी०आई०/ आई०एन०सी०/यू०पी०सी० इत्यादि द्वारा संचालित शोध और प्रशिक्षण के समस्त पाठ्यक्रम/कार्यकम अभिप्रेत है पाठ्यक्रम/कार्यकम निम्नवत् हैं:–

(अ) एम०बी०बी०एस०–बैचलर ऑफ मेडिसिन एवं बैचलर ऑफ सर्जरी,

(ब) बी०डी०एस०– बैचलर ऑफ डेन्टल सर्जरी,

(स) एम०डी०– डॉक्टर ऑफ मेडिसिन,

(द) एम०एस०– डॉक्टर ऑफ सर्जरी,

(य) एम०डी०एस०–मास्टर्स इन डेन्टल सर्जरी,

(र) अध्ययन के विभिन्न विषयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

(ल) सम्बन्धित नियामक प्राधिकारी द्वारा विधिवत् अधिसूचित प्रमाण पत्र/कोई अन्य पाठ्यक्रम

(व) भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न पाठ्यक्रम

(श) उत्तराखण्ड राज्य परा चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न पाठ्यक्रम।

(ज) "एम०सी०आई०" से भारत की चिकित्सा परिषद अभिप्रेत है;

(झ) "विहित" से इस अधिनियम अथवा सरकार द्वारा अथवा विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ञ) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(ट) "महाविद्यालय" से इस अधिनियम और विनियमों के अनुसरण में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कोई महाविद्यालय अथवा कोई संस्था अभिप्रेत है;

(ठ) "विश्वविद्यालय क्षेत्र" से विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अधीन क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ड) "विश्वविद्यालय परिसर महाविद्यालय" से इस अधिनियम के अनुसरण में जैसा विहित किया जाये, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए अर्ह अध्ययनरत छात्रों को पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने तथा उसके साथ सम्बद्ध अस्पताल सम्मिलित है, से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित अभिप्रेत है;

(ढ) "सम्बद्ध महाविद्यालय" इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध उत्तराखण्ड राज्य अथवा विश्वविद्यालय क्षेत्र में स्थित महाविद्यालय अथवा संस्था अभिप्रेत है;

(ण) "स्वायत्त महाविद्यालय" इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में घोषित कोई सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय अभिप्रेत है;

(त) "संगठक महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित और अधिनियम/विनियमों द्वारा इस रूप में घोषित कोई संस्था अभिप्रेत है;

(थ) "विद्यमान महाविद्यालय" से स्थापित विश्वविद्यालय अथवा राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) अधीन अनुरक्षित और संचालित कोई महाविद्यालय अथवा कोई संस्था अभिप्रेत है जिसमें चिकित्सा शिक्षा का अध्यापन किया जा रहा है;

(द) "अनुमोदित संस्था" से विश्वविद्यालय द्वारा किसी संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त कोई अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा कोई अन्य संस्था अभिप्रेत है जिसमें कोई व्यक्ति यदि विश्वविद्यालय की शैक्षिक उत्कृष्टता अथवा कोई डिग्री, डिप्लोमा के आवंटन से पूर्व अध्ययन के पाठ्यक्रम के द्वारा अपेक्षित हो, प्रशिक्षण प्राप्त करता है, अभिप्रेत है;

(ध) "प्राचार्य" से महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है चाहे उसे किसी नाम से पुकारा जाय और इसमें जहां प्राचार्य नही है, उस रूप में

प्राचार्य का कार्य करने वाला तत्समय सम्यक रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति और प्राचार्य की अनुपस्थित में अथवा कार्यरत अथवा इस रूप में सम्यक रूप से नियुक्त उप प्राचार्य का प्राचार्य के रूप में कार्य करना सम्मिलित है;

(न) "विश्वविद्यालय का छात्र" विश्वविद्यालय के डिग्री, डिप्लोमा अथवा अन्य शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय में प्रविष्ट कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(प) **"अध्यापक" में चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय अथवा संस्था में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और पूर्णकालिक आधार पर निर्देश देने वाला ऐसा कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है;**

(फ) "विश्वविद्यालय का अध्यापक" विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय में निर्देश देने के प्रयोजन के लिए नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ब) "नागरिकों का पिछड़ा वर्ग" से उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग अभिप्रेत है और राज्य के उपबंधों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य है;

(भ) "दन्त चिकित्सा शिक्षा परिषद" से भारत की दन्त शिक्षा परिषद अभिप्रेत है;

(म) "नर्सिंग शिक्षा परिषद" से भारत की नर्सिंग शिक्षा परिषद अभिप्रेत है;

(य) "पराचिकित्सा शिक्षा परिषद" से उत्तराखण्ड की पराचिकित्सा परिषद अभिप्रेत है;

अध्याय–दो

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन

3. (1) सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य की अधिकारिता के साथ हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ज्ञात नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय राज्य के सभी चिकित्सा/दन्त/पराचिकित्सा और नर्सिंग

महाविद्यालयों को सम्बद्धता देगी और स्वयं के स्रोतों से परास्नातक और अतिविशिष्ट विशेषज्ञता वाले पाठयक्रमों को सम्बन्धित परिषद/केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिकथित शर्तों और मानको के अनुसार प्रारम्भ करेगी। विश्वविद्यालय स्वयं के स्रोतों से शोध और अनुसन्धान का कार्य भी संचालित करेगी।

(3) विश्वविद्यालय मूल रूप से सम्बद्धक विश्वविद्यालय होगा।

परन्तु, राज्य सरकार/भारतीय चिकित्सा परिषद (एम0सी0आई0) की मान्यता के उपरान्त विश्वविद्यालय अपना परिसर भी स्थापित कर सकेगा एवं सम्बद्ध राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय को यथा आवश्यकतानुसार अपना परिसर घोषित कर सकेगा।

क्षेत्राधिकार और सम्बद्धता

4. (1) विश्वविद्यालय इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के क्षेत्राधिकार के साथ करेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को राज्य में चिकित्सा विज्ञान संचालित करने वाला प्रत्येक महाविद्यालय अथवा संस्था अनिवार्य रूप से पुनः सम्बद्धता के लिए मात्र इसी विश्वविद्यालय में आवेदन करेगा। राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा निश्चित अवधि के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। राज्य में कोई महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता लिये बिना संचालित नहीं किया जा सकेगा, न ही नये छात्रों को प्रवेश देगा।

परन्तु यह कि इस अधिनियम के ऐसी प्रारम्भ की तारीख को किसी महाविद्यालय अथवा संस्था में चिकित्सा विज्ञान में अध्ययनरत कोई छात्र जिसे पूर्व विश्वविद्यालय के अधीन ऐसा अध्ययन चालू रखने और पूर्ण करने के लिए ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् अर्ह और अनुमति होगी तथा पूर्व विश्वविद्यालय ऐसे छात्र की परीक्षा ले सकेगा और डिग्री अथवा कोई अन्य शैक्षिक विशिष्टता प्रदान कर सकेगा।

(3) दून मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य

5. इस अधिनियम के उपबंधों और इस अधिनियम द्वारा ऐसी शर्तें जैसी विहित की जाय के अध्यधीन विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियां होगी, जो केन्द्रीय अधिनियमो तथा भारतीय चिकित्सा परिषद/दन्त

चिकित्सा शिक्षा परिषद/भारतीय नर्सिंग शिक्षा परिषद एवं उत्तराखण्ड राज्य परा चिकित्सा परिषद आदि के अधीन रहेंगी, अर्थात –

(एक) विहित रीति से प्राप्त छूट के सिवाय किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय में अध्ययन के अनुमोदित पाठ्यक्रम में शिक्षा ग्रहण करने तथा विश्वविद्यालय की विहित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अथवा ऐसी शर्तो के अध्यधीन जैसी विहित की जाय संतोषजनक शोध कार्य करने वाले व्यक्ति को डिग्री, डिप्लोमा, सार्टिफिकेट और अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं संस्थित और प्रदान करना,

(दो) परीक्षाएं संचालित करना और ऐसी शर्तो के अधीन जैसा विहित की जायं अथवा अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना,

(तीन) विश्वविद्यालय के उददेश्यों के कियान्वन के लिए विश्वविद्यालय महाविद्यालय, अस्पताल और प्रयोगशालाओं तथा शोध की इकाईयों, पुस्तकालयों और अन्य इकाईयों को संस्थित, अनुरक्षित और प्रशासन करना,

(चार) महाविद्यालयों और संस्थाओं को सम्बद्ध करना और ऐसी सम्बद्धता को वापस लेना,

(पांच) स्कोलरशिप, स्टूडेंटशिप, स्टाइपेण्ड, मेडल और पुरस्कारों को संस्थित तथा प्रदान करना,

(छः) विश्वविद्यालय के छात्रों पर ऐसे नियंत्रण का प्रयोग करना जिससे उनका स्वास्थ्य, सुरक्षा और अनुशासन तथा सम्बद्ध महाविद्यालय के छात्रों पर उसी प्रयोजन के लिए सम्बद्ध महाविद्यालय के माध्यम से नियंत्रण करना,

(सात) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को सभी स्थावत सम्पत्तियों के अन्तरण का प्रबंधन और नियंत्रण करना,

(आठ)राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, यूजीसी, एम0सी0आई, अन्य राष्ट्रीय परिषद अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी

अन्य रीति से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय में प्रायोजित चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार से संबंधित कोई अन्य कार्य अथवा अनुसन्धान के लिए प्राप्त कोई अनुदान को स्वीकार, धारण और प्रबंधन करना,

(नौ) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अन्य निगमित संस्थाओं से ऐसे प्रयोजनों के लिए जैसा सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाय प्रतिभूति सहित अथवा उसके बिना धनराशि का ऋण प्राप्त करना,

(दस)राज्य सरकार द्वारा गठित समिति एंव विश्वविद्यालय की वित्त समिति द्वारा यथानियत ऐसा शुल्क को अवधारित करना और उसकी मांग तथा उसे जमा करना,

(ग्यारह) स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित श्रेणियों और अनुसन्धान के कार्य को प्रकाशित करना,

(बारह)अन्य विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं के साथ सहयोग करना,

(तेरह)विश्वविद्यालय पुस्तकालय, शोध केन्द्र, म्यूजियम और प्रेस तथा प्रकाशन केन्द्र की स्थापना और अनुरक्षण

(चौदह) शोध पदों की स्थापना और ऐसे पदों पर उपयुक्त व्यक्तियों को नियुक्त करना

(पन्द्रह) स्थायी अनुमोदित विन्यास के आधार पर योग्य छात्राओं को पुरस्कार और मैडल प्रदान करना

(सोलह), विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिए जैसा कि ठीक अथवा आवश्यक समझा जाय साधारणतया ऐसे कृत्य अथवा ऐसे अन्य उपबंध करना

(सतरह), चिकित्सा शिक्षा में शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध उपलब्ध कराना तथा उन्नयन करना और उद्योगों के साथ निकट

सहयोग के साथ चिकित्सा शिक्षा के उन्नयन के लिए आपसी सहयोग और उपयुक्त वातावरण तैयार करना,

(अठारह). किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करना अथवा सम्बद्ध किसी महाविद्यालय को विशेषाधिकारों को बढ़ाना अथवा ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस लेना अथवा न्यून करना और ऐसे महाविद्यालयों के कार्यों को निर्देशित तथा नियंत्रित करना,

(उन्नीस).ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करना और डिग्री अथवा अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं प्रदान और संस्थित करना जो –

(एक) महाविद्यालय में अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त हैं अथवा –

(दो) विनियमों में अधिकथित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा उसके ओर से कोई मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में शोध कार्य कर रहा हो।

(बीस) शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और समुदायों के मध्य चिकित्सा शिक्षा के उन्नयन के लिए उपबंध करना,

(इक्कीस) (एक) एनसीसी अथवा अन्य समान संगठन का अनुरक्षण,

(दो) शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण तथा

(तीन) खेल और एथेलेटिक क्लब के लिए उपबंध करना

(बाईस) राज्य सरकार द्वारा सृजित पदों में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना,

(तेईस) महाविद्यालयों की सम्बद्धता के लिए शर्तों का अधिकथन और स्वयं की समाधान के लिए ऐसी शर्तो की संतुष्टि हेतु अध्यावदिक निरीक्षण करना,

(चौबीस) समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित ऐसे

प्रयोजनों के लिए और ऐसी रीति में अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकारियों के साथ सहयोग अथवा समन्वय करना,

(पच्चीस) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित चिकित्सा शिक्षा के विभिन्न पाठयक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन करना,

(छब्बीस) अन्य ऐसे सभी कृत्य अथवा अन्य कार्य करना जो विश्वविद्यालय के उददेश्यों के लिए आवश्यक हों।

क्षेत्राधिकार और प्रवेश के विशेषाधिकार 6. (1) उत्तराखण्ड राज्य में कोई महाविद्यालय विश्वविद्यालय की सहमति और सरकार की स्वीकृति के बिना चिकित्सा विज्ञान में किसी रीति से अथवा भारत अथवा विदेशी कोई अन्य विश्वविद्यालय से प्रवेश प्राप्त नही कर सकेगा ।

(2) राज्य में अवस्थित चिकित्सा विज्ञान के किसी महाविद्यालय अथवा संस्था द्वारा नियत तिथि से पूर्व किसी अन्य विश्वविद्यालय से कोई ऐसी प्राप्त विशेषाधिकार ऐसी तारीख से प्रत्याहरित समझी जायेगी।

(3) उस तारीख तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से चिकित्सा विज्ञान के समस्त महाविद्यालय और स्वायत्त संस्थाएं जो पूर्व में राज्य के कुमाऊ और गढवाल अथवा अन्य कोई विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अथवा विशेषाधिकार प्राप्त थे, इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के प्रतिबन्धों के अधीन इस विश्वविद्यालय से विशेषाधिकार प्राप्त अथवा सम्बद्ध समझे जायेगें।

विश्वविद्यालय सभी के लिए खुला रहेगा 7. (1) कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी पद अथवा उसके प्राधिकरणों की किसी सदस्यता अथवा किसी डिग्री, डिप्लोमा अथवा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं अथवा अध्ययन के पाठयक्रम में लिंग, जाति, वर्ग, वंश, जन्मस्थान, धार्मिक विश्वास अथवा राजनीति अथवा अन्य राय के फलस्वरूप विलग नहीं किया जायेगा,

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय सरकार की पूर्व अनुमति के

अध्यधीन विशिष्टतय महिलाओं के लिए कोई विशेष महाविद्यालय अनुरक्षित और सम्बद्ध कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय सरकार के विशिष्ट अथवा सामान्य आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, के व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा नियंत्रित किसी महाविद्यालय अथवा संस्था में छात्र के रूप में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए सीट आरक्षित कर सकेगी,

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय विभिन्न पाठयकमों मे प्रवेश के लिए आरक्षण में सरकार के मानकों से आच्छादित होंगे,

(3) विश्वविद्यालय जाति, वंश, वर्ग, भाषा इत्यादि के इतर सभी के लिए खुला रहेगा,

परन्तु यह कि इस धारा से यह नही समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय किसी अध्ययन के पाठयकम में विनियमों में अवधारित छात्रों की संख्या से अधिक संख्या में प्रवेश नही कर सकेगी।

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय इस धारा से यह नही समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्गों से सम्बन्धित छात्रों के प्रवेश के लिए कोई विशेष उपबंध करने से रोकती है।

अध्याय– तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

8. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात–

(एक) कुलाधिपति,

(दो) कुलपति,

(तीन) कुलसचिव,

(चार) परीक्षा नियंत्रक,

(पांच) वित्त अधिकारी,

(छः) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य अधिकारी और लिपिकीय कर्मचारी वर्ग जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किया जाय।

कुलाधिपति

9. (1) राज्यपाल विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति होंगे।

(2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे और जब वह उपस्थित होंगे विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को कुलाधिपति के अनुमोदन के बिना कोई मानद डिग्री संस्थित नहीं की जायेगी।

(4) कुलाधिपति को नियंत्रण, विनियमन, निर्देश, आदेश देने की अधिकारिता होगी और यदि आवश्यक हुआ तो अपरिहार्य परिस्थितियों के मामलें में विश्वविद्यालय का प्रशासन भी कर सकेंगे तथा उसके निर्देश विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालित और माने जायेंगे। जब कभी वह उचित समझे स्वतः विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई का प्रारम्भ और जांच भी कर सकेंगे।

(5) कुलाधिपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य दायित्वों का निर्वहन करेगा जैसा उसे इस अधिनियम के अधीन अथवा सरकार द्वारा दिये जाय।

(6) विश्वविद्यालय के मामलों के प्रशासन से संबधित अभिलेखों की ऐसी सूचना जैसा कुलाधिपति द्वारा मांग की जाय, उपलब्ध कराने का दायित्व कुलपति का होगा।

कुलपति

10. (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक शैक्षिक अधिकारी होगा।

(2) उच्चस्तरीय योग्य, सत्यनिष्ठा, आचरण और संस्था के प्रति जवाबदेह व्यक्ति कुलपति नियुक्त किया जायेगा। नियुक्त किये जाने वाला कुलपति विशिष्ट विद्वत न्यूनतम चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रकिया में प्रोफेसर

के पद पर 10 वर्ष का अनुभव अथवा चिकित्सा विज्ञान के प्रतिष्ठित संगठन में समकक्ष स्थिति में कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(3) कुलपति का चयन समुचित चिन्हांकन के माध्यम से सर्च समिति द्वारा 3 से 5 व्यक्तियों के पैनल से एक लोक अधिसूचना अथवा भिन्न सर्च प्रकिया अथवा दोंनो से किया जायेगा। उपर्युक्त सर्च समिति का गठन इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (4) के अनुसार रहेगा। जब पैनल तैयार किया जाय, सर्च समिति लिखित में विशिष्ठ विद्वत, देश अथवा विदेश में चिकित्सा शिक्षा पद्वति में अनुभवी और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक प्रशासन में समुचित अनुभव वाले व्यक्ति को उपयुक्त वरीयता देते हुए कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) सर्च समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों से किया जायेगा, अर्थात–

(क) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन इस सर्च समिति के अध्यक्ष होंगे – अध्यक्ष

(ख) कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ अथवा निदेशक पी0जी0आई0 चंडीगढ/लखनऊ अथवा निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अथवा चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र के ख्यातिप्राप्त व्यक्ति में से कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति – सदस्य

(ग) राज्य के चिकित्सा शिक्षा का प्रमुख सचिव अथवा सचिव इस समिति के समन्वयक एवं सदस्य सचिव होंगे – सदस्य सचिव

(5) कुलपति कुलाधिपति द्वारा सर्च समिति द्वारा प्रस्तुत व्यक्तियों के पैनल में से नियुक्त किया जायेगा। पैनल उपधारा (4) के अधीन गठित समिति द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा,

परन्तु यह कि–

(क) प्रथम कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(ख) 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को कुलपति के रूप में नियुक्त नही किया जायेगा।

(ग) यदि कुलाधिपति समिति द्वारा प्रस्तुत व्यक्तियों में से किसी एक अनुमोदित नही करता है अथवा इस प्रकार संस्तुत किया गया व्यक्ति नियुक्त को स्वीकार करने का इच्छुक नही है तो कुलाधिपति समिति से नयी प्रस्तुत दिये जाने के लिए निर्देश दे सकेगा।

(6) कुलपति कुलाधिपति के प्रसाद पर्यन्त और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, किन्तु वह पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह होगा,

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति इस प्रकार नियुक्त कुलपति के पद पर कुल दो अवधि से अधिक कार्य नहीं कर सकेगा,

परन्तु यह और कि किसी कुलपति को दुर्व्यवहार, कुप्रबन्धन, अयोग्यता अथवा अन्य किसी कारण से कुलाधिपति द्वारा पारित आदेश से नियुक्त उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सम्यक जांच के पश्चात् ही हटाया जा सकेगा। कुलाधिपति ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वह ठीक समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकेगा।

(7) जब अवकाश, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से कुलपति का पद अस्थायी रूप रिक्त हो तो कुलाधिपति कुलपति के दायित्वों के निर्वहन के लिए प्रथमतः 6 माह तथा अधिकतम दो बार के लिए अस्थायी व्यवस्था कर सकेगा। अंतरिम व्यवस्था के दौरान स्थायी कुलपति की नियुक्ति अनिवार्य रूप से कर ली जायेगी।

(8) कुलपति की सेवाओं की परिलब्धियां और अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय,

परन्तु यह कि कुलपति की सेवाओं की परिलब्धियों और अन्य शर्तों में उसके पदभार के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नही किये जा सकेगें।

कुलपति की शक्तियां और कृत्य 11. (1) कुलपति विश्वविद्यालय का कार्यकारी और शैक्षिक प्रधान अधिकारी होगा। वह विश्वविद्यालय के मामलों में सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का प्रयोग करेगा तथा विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के समस्त निर्णयों को प्रभावी करेगा। वह विश्वविद्यालय में अनुशासन के सम्यक अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(2) कुलपति यदि उसकी राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता हो तो इस अधिनियम अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे मामले में उसके द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना ऐसे प्राधिकारी को देगा,

परन्तु यह कि यदि संबंधित प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्यवाही नहीं की गयी है तो वह कुलाधिपति को इसे संदर्भित करेगा जिसमें उसका निर्णय अन्तिम होगा।

(3) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसा अधिनियम द्वारा विहित किया जाय।

(4) कुलपति कार्य परिषद और शैक्षिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा और वह लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को उक्त बैठक में अध्यक्षता करने की शक्ति को प्रतिनिधानित कर सकेगा। वह शैक्षिक परिषद तथा वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति के अनुपस्थित में समिति की अध्यक्षता करेगा।

(5) कुलपति इस अधिनियम , विनियम और नियमों के उपबंधों का विश्वासपूर्वक पालन सुनिश्चित करेगा।

(6) कुलपति कार्य परिषद को वार्षिक वित्तीय आंकलन और वार्षिक लेखों तथा तुलन पत्र को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) कुलपति विश्वविद्यालय के समुचित प्रशासन तथा शैक्षिक,

अनुसन्धान तथा ज्ञान की निश्चितता और आपसी सहयोग के लिए उत्तरदायी होगा ।

(8) कुलपति विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का प्रधान शैक्षिक अधिकारी होगा।

(9) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के निर्णयों का प्रभावी अनुपालन करेगा।

(10) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(11) विश्वविद्यालय के अनुशासन को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(12) वह सम्यक समय पर प्रवेश तथा विश्वविद्यालय परीक्षाओं को समुचित रूप से चलाने तथा आयोजित करने के लिए उत्तरदायी होगा। तथा ऐसी परीक्षाओं का परिणाम शीघ्रता से प्रकाशित करने तथा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र का प्रारम्भ और समापन सम्यक तारीखों पर सुनिश्चित करेगा ।

(13) कुलपति शैक्षिक परिषद, कार्यकारी परिषद तथा वित्त समिति का पदेन सदस्य होगा।

(14) कुलपति को विश्वविद्यालय की किसी अन्य प्राधिकारी अथवा निकाय की बैठकों में प्रतिभाग करने और बोलने का अधिकार होगा, किन्तु इस उपधारा के प्रयोजन के लिए उसे मत देने का अधिकार नही होगा।

(15) कुलपति की यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों का विश्वासपूर्वक पालन किया जा रहा है, और वह कुलाधिपति की शक्तियों में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उनकी ओर से आवश्यक सभी शक्तियों को धारण करेगा।

(16) कुलपति को कार्यकारी परिषद, शैक्षिक परिषद और वित्त समिति की बैठकों को आयोजित करने अथवा उसकी बैठकों में प्रतिभाग करने की शक्ति होगी,

परन्तु यह कि वह ऐसी शक्ति को विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को प्रतिनिधानित कर सकेगा।

(17) जहां कोई मामला त्वरित प्रकृति का है और तुरन्त कार्यवाही करने की अपेक्षा है और इस अधिनियम अथवा विश्वविद्यालय द्वारा सशक्त किसी अधिकारी अथवा किसी प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय द्वारा तुरन्त कार्यवाही नही की जा सकती है तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे तथा उसके द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना तुरन्त कुलाधिपति को देगा और साथ ही ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को जो उसे साधारणतया करने के लिए उत्तरदायी था, को देगा,

परन्तु यह कि ऐसी कोई कार्यवाही यदि वह विनियमों के उपबंधों से विचिलित हो तो कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जा सकेगा।

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय की राय में यह है कि ऐसी कार्यवाही पर कोई कार्यवाही नही की जानी थी तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को संदर्भित किया जायेगा, जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि करेगा अथवा उसे समाप्त कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपांतरित कर सकेगा जैसा ठीक समझे और तद्परान्त ऐसे प्रभाव को समाप्त किया जा सकेगा अथवा जैसी स्थिति हो उपांतरित रूप में प्रभावी किया जा सकेगा, किन्तु ऐसी समाप्ति अथवा उपांतरण से पूर्व में की गयी कार्यवाही अथवा कुलपति के आदेश की वैद्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी,

परन्तु यह भी कि विश्वविद्यालय की सेवाओं का कोई व्यक्ति जो कुलपति के द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो इस उपधारा के अधीन ऐसी कार्यवाही के विरूद्व उसे संसूचित कार्यवाही के निर्णय के दिनांक से तीन महीने के भीतर कार्य

परिषद् में अपील करने का अधिकार होगा और तद्परान्त कार्य परिषद कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही पर कार्यकारी परिषद की पुष्टि, उपान्तरण अथवा निरसन के अध्यधीन होगी।

कार्यपरिषद् के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन कुलाधिपति को अपील प्रस्तुत कर सकता है जिस पर कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।

(18) उपधारा (6) की कोई बात से यह नहीं समझा जायेगा कि कुलपति सम्यक रूप से किसी होने वाले व्यय के लिए और आय व्ययक में उपबंधित व्यय के लिए प्राधिकृत करता है।

(19) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विनियमों में अधिकथित की जाय।

कुलसचिव 12. (1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। कुल सचिव की न्यूनतम अर्हता यह होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेगी।

(2) निम्नलिखित सदस्यों से चयन समिति का गठन किया जायेगा :–

(क) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग – अध्यक्ष,

(ख) विश्वविद्यालय का कुलपति – सदस्य,

(ग) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा – सदस्य

(3) कुल सचिव की सेवाओं का वेतन और भत्ते तथा अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी यू0जी0सी0/राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।

(4) वह ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जैसा अधिनियम और नियमों द्वारा समय–समय पर राज्य सरकार अथवा कुलपति द्वारा अपेक्षित हो।

(5) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। वह राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा।

(6) कुल सचिव के चयन हेतु चयन प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेगी।

(7) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों के अधिप्रमाणन करने की शक्ति होगी।

(8) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेख और सामान्य मुद्रा को सम्यक रूप से अभिरक्षा में रखने के लिए उत्तरदायी होगा। वह कार्यकारी परिषद/शैक्षिक परिषद/वित्त समिति/कोई अन्य समिति का पदेन सचिव होगा और ऐसी सभी सूचनाओं जैसा उसके कार्य के लिए आवश्यक हो उसके समक्ष रखने के लिए बाध्याकारी होगा। वह कार्यकारी परिषद अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित अथवा विहित ऐसी शक्तियों का प्रयोग भी करेगा, किन्तु इस उपधारा के प्रयोजन के लिए वह मत देने का अधिकारी नही होगा।

(9) कुलसचिव विश्वविद्यालय के ऐसे अपेक्षित अभिलेख और पत्रजातों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्यकारी होगा तथा उसके दायित्वों के निर्वहन के लिए जैसा वह आवश्यक समझे इससे संबंधित मामलों की सूचना को उपलब्ध करायेगा।

(10) विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव द्वारा सभी संविदाओं का निष्पादित और हस्ताक्षरित की जायेगी।

(11) कुलसचिव की अन्य शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विनियमों में विहित किया जाय।

परीक्षा नियंत्रक 13. (1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा तथा न्यूनतम अर्हता एवं चयन हेतु चयन प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेगी।

(2) निम्नलिखित सदस्यों से चयन समिति का गठन किया जायेगा :-

(क) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग – अध्यक्ष,

(ख) विश्वविद्यालय का कुलपति – सदस्य,

(ग) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा – सदस्य

(3) वह विश्वविद्यालय के परीक्षाओं को संचालित करने का प्रभारी होगा और उससे संबंधित मामलों तथा ऐसे दायित्वों का प्रयोग करेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय अथवा कुलपति द्वारा निर्देशित किया जाय।

(4) परीक्षा नियंत्रक की सेवाओं का वेतन और भत्ते तथा अन्य शर्तें ऐसी होगी जैसा यू0जी0सी0/सरकार द्वारा विहित किया जाय।

(5) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय के परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा तथा वह उसके कार्य व्यवहार से संबंधित सभी आवश्यक ऐसी सूचनाओं को समिति के समक्ष रखने के लिए बाध्यकारी होगा। वह कुलपति अथवा कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर अपेक्षित अथवा विनियमों द्वारा विहित ऐसे अन्य दायित्वों का भी निर्वहन करेगा किन्तु इस उपधारा के प्रयोजन के लिए मत देने का अधिकारी नही होगा। वह किसी महाविद्यालय से अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक ऐसी सूचनायें उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा।

(6) कुलपति के पर्यवेक्षण के अध्यधीन परीक्षा नियंत्रक का उसके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा।

(7) परीक्षा समिति के पर्यवेक्षण के अध्यधीन परीक्षा नियंत्रक प्रवेश परीक्षा तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से संबंधित सभी प्रबंध करने के लिए तथा उससे संबंधित सभी प्रक्रियाओं के सम्यक निष्पादन करेगा।

(8) राज्य सरकार के आदेशों के सिवा परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय के किसी कार्य के लिए पारिश्रमिक देगा और न ही स्वीकार करेगा।

(9) जब परीक्षा नियंत्रक किसी कारण से अपने कृत्य करने में असमर्थ हो अथवा परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो तो परीक्षा नियंत्रक द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने अथवा रिक्ति

की पूर्ति करने तक जैसी स्थिति हो परीक्षा नियंत्रक के दायित्वों का निर्वहन कुलसचिव द्वारा किया जायेगा।

वित्त अधिकारी

14. (1) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और उसे राज्य सरकार द्वारा सरकार के अधिकारियों में से नियुक्त किया जायेगा।

(2) वित्त अधिकारी की सेवाओं का वेतन और भत्ते तथा अन्य शर्तें ऐसी होगी जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाय।

(3) वह विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली सम्पत्ति और विनिवेश का प्रबन्ध करेगा। वह वित्तीय मामलों से सम्बन्धित सभी मामलों में कुलपति को परामर्श देगा। वह विश्वविद्यालय के लेखों जिसमें वार्षिक वित्तीय आंकलन और वार्षिक लेखा तथा तुलन पत्र को तैयार करना सम्मिलित है, के समुचित अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) वह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा कोई व्यय सरकार से अनुमोदित वित्तीय आंकलन में प्राधिकृत से अधिक न हो और वह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी व्यय को करने की अनुमति नही देगा।

(5) वित्त अधिकारी आय व्ययक (वार्षिक आंकलन) को प्रस्तुत करने और लेखों के विवरण कार्यकारी परिषद के समक्ष रखने के बाध्यकारी होगा और विश्वविद्यालय की आरे से निधियों का आहरण और वितरण का भी कार्य करेगा।

(6) वित्त अधिकारी कार्यकारी परिषद की बैठकों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकारी होगा किन्तु मत देने का अधिकार नही होगा।

(7) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कृत्य होंगे---

(क) यह सुनिश्चित करना कि कोई व्यय जो आय व्ययक में प्राधिकृत नही है किसी अन्य रीति से विनियेश करना,

(ख) इस अधिनियम अथवा किसी विनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी प्रस्तावित व्यय पर अनुमति खारिज करना,

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई वित्तीय अनियमित्ता नही हो रही है और लेखा परीक्षा में उठायी गयी किसी अनियमित्ता को ठीक करने के लिए कदम उठाना,

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और विनिमेश सम्यक रूप से सुरक्षित और प्रबंधन में हैं।

अन्य अधिकारी और कर्मचारी

15. **धारा 8 के खण्ड (छ:) में संदर्भित विश्वविद्यालय/परिसर महाविद्यालय/संघटक महाविद्यालय के अन्य अधिकारियों/फैकल्टी और कर्मचारी वर्गों की नियुक्ति की रीति, शक्तियां और कृत्य तथा सेवा की शर्तें ऐसी होगी जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाय,**

इस अधिनियम में उपबंधित के सिवाय कुलाधिपति, कुलपति, वित्त अधिकारी और कुलसचिव के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति की रीति सेवा की शर्तें और निबंधन तथा शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाय।

विश्वविद्यालय के अधिकारी सरकार के सिवाय अन्य कोई पारश्रमिक स्वीकार नही करना

16. विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी कार्य के लिए सरकार द्वारा अथवा उसके आदेशों द्वारा वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवाओं की शर्तो के अतिरिक्त किसी प्रकार का पारश्रमिक न तो देगा और नही स्वीकार करेगा।

अध्याय – चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

17. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात–

(एक) कार्य परिषद,

(दो) शैक्षिक परिषद

(तीन) वित्तीय समिति

(चार) परीक्षा समिति,

(पांच) ऐसे अन्य निकाय जो सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाय,

(छ:) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो विश्वविद्यालय द्वारा विनियमों से प्राधिकारी घोषित किये जाय।

कार्य परिषद 18. (1) कार्य परिषद निम्नलिखित सदस्यों से संरचित होगी, अर्थात –

(क) कुलपति जो अध्यक्ष होगा,

(ख) राज्य सरकार का प्रमुख सचिव/ सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी

(ग) राज्य सरकार का प्रमुख सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी

(घ) राज्य सरकार का प्रमुख सचिव/ सचिव, वित्त विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी

(ङ) उच्च शिक्षा अथवा उसके द्वारा नामित ऐसा व्यक्ति जो अपर सचिव के श्रेणी से नीचे का न हो,

(च) कुलपति कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

(छ) कुलपति केजीएमयू लखनऊ,

(ज) अध्यक्ष भारतीय चिकित्सा परिषद अथवा उसका नामिति,

(झ) कुलपति के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा नामित दो प्रतिष्ठित उद्योगपति,

(ञ) कुलपति के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा नामित दो प्रतिष्ठित चिकित्सा विशेषज्ञ

(ट) कुलपति द्वारा नामित चक्रानुक्रमानुसार दो महाविद्यालयों के प्राचार्य,

(ठ) चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र से मुख्य मंत्री द्वारा नामित दो प्रतिष्ठित व्यक्ति,

(ड) अध्यक्ष भारतीय नर्सिंग परिषद, अथवा उसका नामिति,

(ढ) अध्यक्ष भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद अथवा उसका नामित,

(ण) अध्यक्ष उत्तराखण्ड पराचिकित्सा परिषद अथवा उसका नामिति,

(त) निदेशक चिकित्सा शिक्षा,

(थ) महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,

(द) कुलाधिपति द्वारा स्वास्थ्य विज्ञान में विशेष रूचि रखने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति से तथा एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति में से जिसमें एक महिला होगी, दो व्यक्ति ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो परास्नातक नही है कार्य परिषद का सदस्य नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(3) खण्ड (ज) (झ) (ञ) (ट) (ठ) तथा (द) में उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

(4) कोई व्यक्ति कार्य परिषद के सदस्य के रूप में नामित होने के लिए अनर्ह होगा यदि वह अथवा उसका सम्बंधी किसी कार्य मे कोई पारश्रमिक लेता है अथवा किसी सामग्री अथवा विश्वविद्यालय के किसी कार्य के निष्पादन में आपूर्ति के लिए संविदा करता है।

स्पष्टीकरण-- इस उपधारा में "सबन्धी" से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 6 में परिभाषित सम्बन्ध अभिप्रेत है और इसमें पत्नी अथवा पति, पिता, पत्नियां अथवा पति की बहन भाई पुत्र और भाई की पुत्री सम्मिलित हैं।

कार्य परिषद की बैठकें

19. (1) कार्य परिषद की बैठक एक वर्ष में न्यूनतम दो बार ऐसी तारीख को जैसा कुलपति द्वारा नियत किया जाय, जिसमें से एक बैठक वार्षिक बैठक होगी, आयोजित की जायेगी।

(2) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विश्वविद्यायल के कार्यों की रिपोर्ट के साथ आय और व्यय का विवरण, वित्तीय आंकलन तथा अन्तिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट कार्य परिषद के विचारार्थ उपधारा (1) के अधीन आयोजित कार्य परिषद की वार्षिक बैठक के समक्ष रखा जायेगा।

(3) कुलपति जब कभी उचित समझे और कार्य परिषद के न्यूनतम दस सदस्यों के हस्ताक्षरों से अपेक्षा किये जाने पर कार्य परिषद की विशेष बैठक आयोजित कर सकेगा।

कार्य परिषद की

20. (1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यकारी निकाय होगी

शक्तियां और कृत्य

और इस अधिनियम में दिये गये किसी बात के होते हुए भी कार्य परिषद की निम्नलिखित शक्तियां होगी, अर्थात–

(एक) विश्वविद्यालय की नीतियों को समय–समय पर पुनर्विलोकित करने की शक्ति कार्य परिषद की होगी और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय सुझाने तथा विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा पर प्रस्ताव पर विचार करने और पारित करने की शक्ति होगी।

(दो) डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्ठताएं प्रदान और संस्थित करना।

(तीन) मानद उपाधियां अथवा अन्य शैक्षणिक विशिष्ठताएं संस्थित करना।

(चार) सरकार, अधिनियम और नियमों द्वारा प्रदान की गयी ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करना।

(पांच) विश्वविद्यालय के मामलों में पर्यवेक्षणक और नियंत्रण करना।

(छः) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों का धारण और नियंत्रण करना।

(सात) शैक्षणिक कार्यक्रम अनुमोदित करना।

(आठ) विनियमों को बनाना, संशोधन अथवा निरसन करना।

(नौ) विश्वविद्यालय का आय–व्ययक तैयार करना।

(दस) किसी निधि का प्रशासन और विश्वविद्यालय के निस्तारण के लिए रखना।

(ग्यारह) सरकार के अनुमोदन के पश्चात विश्वविद्यालय की किसी स्थावत , जंगम अथवा अन्य सम्पत्ति की अपेक्षा और अन्तरण,

(बारह) विश्वविद्यालय के निर्देश और सामान्य मुद्रा का प्रयोग

(तेरह) ऐसी समितियों का गठन जैसा विश्वविद्यालय के पर्याप्त कृत्यों के लिए अपेक्षित हो,

(चौदह) विश्वविद्यालय के कर्मचारीवृन्दों की सेवाओं की शर्तों और निबन्धनों तथा परिलब्धियों का अवधारण,

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय के बैंक लेखों के संचालन प्राधिकृत करना,

(सोलह) इस अधिनियम अथवा विनियमों के अनुसरण में विश्वविद्यालय के सभी मामलों को विनियमित और अवधारित करना।

(2) कार्य परिषद की प्रत्येक बैठकें ऐसी तारीख , समय और स्थान पर आयोजित की जायेगी जैसा कुलपति द्वारा नियत किया जाय।

(3) कार्य परिषद के सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करने के अर्ह होंगे जैसा विहित किया जाय।

(4) विश्वविद्यालय की कोई जंगम सम्पत्ति राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना (प्रबंधन के साधारणतया माह दर माह पर किराये के अतिरिक्त) कार्य परिषद द्वारा बंधक, विक्रय, विनियम, दान अथवा अन्य किसी प्रकार से न तो अंतरित की जायेगी और नही कोई धनराशि ऋण ली जायेगी अथवा किसी अन्य व्यक्ति से राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के किसी अनुदान के प्राप्ति के किसी शर्त के सिवाय कोई प्रतिभूति नही ली जायेगी।

(5) कार्य परिषद वित्त समिति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए नियत किये गये होने वाले आवर्तक और अनावर्तक व्यय से अधिक धनराशि व्यय नही करेगी।

(6) कार्य परिषद विनियमों में अधिकथित शर्तों के अध्यधीन उसकी ऐसी शक्तियों को जैसा वह ठीक समझे किसी अधिकारी को अथवा विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा गठित समिति को प्रतिनिधानित कर सकेगी।

शैक्षिक परिषद

21. (1) शैक्षिक परिषद विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षिक निकाय होगी और इस अधिनियम तथा विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन सामान्य विनियमन और नियंत्रण तथा विश्वविद्यालय के निर्देश, शिक्षा और परीक्षाओं के मानकों के अनुरक्षण के लिए जिमेदार होगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगी

जैसा उसे विनियमों में सौंपा अथवा प्रदत्त की जाय और सभी शैक्षणिक मामलों में शैक्षिक परिषद राय देगी।

(2) शैक्षिक परिषद निम्नलिखित सदस्यों से सरचित होगी, अर्थात–

(क) कुलपति – अध्यक्ष

(ख) निदेशक चिकित्सा शिक्षा – सदस्य

(ग) कुलपति द्वारा नामित दो ऐसे महाविद्यालयों के प्राचार्य जो कार्य परिषद के सदस्य हो– सदस्य

(घ) दून विश्वविद्यालय के विभाग का एक प्रधान जिसे उस विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामित किया गया हो–सदस्य

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ग) व (घ) में संदर्भित सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

वित्त समिति

22. (1) वित्त समिति निम्नलिखित सदस्यों से संरचित होगी, अर्थात–

(क) कुलपति – अध्यक्ष

(ख) राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव अथवा उसके द्वारा नामित अपर सचिव की श्रेणी से अनिम्न व्यक्ति– सदस्य

(ग) राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव अथवा उसके द्वारा नामित अपर सचिव की श्रेणी से अनिम्न व्यक्ति– सदस्य

(घ) कुलपति द्वारा नामित कार्य परिषद के दो सदस्य – सदस्य

(ङ.) वित्त अधिकारी – सदस्य

(2) वित्त समिति कार्य परिषद को विश्वविद्यालय के सम्पत्ति और निधियों के प्रशासन से संबंधित मामलों में परामर्श देगी। विश्वविद्यालय की आय और स्रोतों से संबंधित, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आवर्तक और अनावर्तक कुल व्यय के लिए सीमा नियत करने और किसी विशिष्ट कारण हेतु इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को वित्तीय वर्ष के दौरान संशोधित करने का

दायित्व होगा। इस प्रकार नियत की गयी सीमा कार्य परिषद के लिए बाध्यकारी होगी।

(3) वित्त समिति इस अधिनियम अथवा विनियमों द्वारा प्रदत्त एवं अधिरोपित ऐसी अन्य शक्तियों और कृत्यों का पालन करेगी जैसी विहित की जाय।

(4) जब तक कि वित्त समिति द्वारा वित्तीय अपेक्षाओं की संस्तुति का प्रस्ताव न किया जाय कार्य परिषद उस पर निर्णय नही ले सकेगी और यदि कार्य परिषद वित्त समिति की संस्तुतियों से असहमत होती है तो वापस संदर्भित किये गये ऐसे प्रस्ताव को वित्त समिति से कुलाधिपति के लिए संदर्भित किया जायेगा जिस पर उनका निर्णय अन्तिम होगा।

परीक्षा समिति

23. (1) विश्वविद्यालय में परीक्षा समिति होगी जिसका गठन विनियमों में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अथवा कुलपति द्वारा गठित होगी।

(2) समिति सामान्तया विश्विद्यालय की सभी परीक्षाओं का पर्यवेक्षण जिसमें सभी पाठयकमों की प्रवेश परीक्षाएं सम्मिलित है, करेगी और निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात–

(क) परीक्षकों और नियंत्रणकर्ताओं को नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो उन्हें हटाना,

(ख) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों का समय–समय पर पुनर्विलोकन और उस पर शैक्षणिक परिषद को रिपोर्ट प्रस्तुत करना,

(ग) परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु अकादमिक परिषद को संस्तुति करना

(घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की सन्निरीक्षा, उसे अन्तिम करना और विश्वविद्यालय के परिणाम घोषित करना,

(ङ) नियंत्रण कर्ता और अंको का विवरण,

(3) परीक्षा समिति ऐसी संख्या में जैसा वह ठीक समझे कुछ संख्या में

उपसमितियां नियुक्त कर सकेगी और विशेषतया किसी एक अथवा अधिक व्यक्तियों अथवा उपसमिति को प्रतिनिधानित कर सकेगी। परीक्षाओं में नकल के मामलों से संबंधित मामलों के निर्णय की शक्ति भी होगी।

(4) एम0बी0बी0एस0, बी0डी0एस0, एम0डी0एस0, एम0डी0, एम0एस0, नर्सिंग एवं परा–चिकित्सा विज्ञान से सम्बन्धित पाठ्यक्रम तथा अन्य पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप सम्पादित कराना।

(5) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी परीक्षा समिति अथवा उपसमिति अथवा कोई व्यक्ति जो परीक्षा समिति द्वारा उपधारा (3) के अधीन उसकी शक्तियों का प्रतिनिधानित है जैसी स्थिति हो के लिए यह विधिपूर्ण होगा यदि उसके अथवा उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी ऐसी किसी परीक्षा में नकल करने का दोषी है,कि वह ऐसे व्यक्ति को विश्वविद्यालय के भविष्य की परीक्षाओं से बाहर कर दे।

(6) इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन परीक्षा समिति परीक्षाओं के संचालन के लिए की गयी व्यवस्थाओं हेतु ऐसे निर्देष दे सकेंगी, जैसा वह आवश्यक समझे।

संकाय

24. विश्वविद्यालय के संकाय और उनकी संरचना ऐसी होगी, जैसी सरकार द्वारा विहित की जाय।

अन्य प्राधिकारी

25. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे विहित किये जाय।

अध्याय– पांच

विनियम

विनियम

26. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन सरकार निम्नलिखित मामलों के लिए विनियम बना सकेगी,

परन्तु, प्रथम विनियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना

द्वारा बनाये जायेंगे तथा नये विनियमन/नियम बनाने, संशोधन करने या विलुप्त करने की शक्तियाँ कार्यपरिषद में निहित होंगी।

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा समय–समय पर विश्वविद्यालयके लिए घोषित होने वाली प्राधिकारियों और ऐसी अन्य निकायों के गठन, कृत्य और शक्तियों,

(ख) उपयुक्त प्राधिकारियों अथवा निकायों के सदस्यों के निर्वाचन और उनकी निरन्तरता तथा सदस्यों की रिक्तियों को भरा जाना और इन प्राधिकारियों अथवा निकायों से संबंधित सभी अन्य मामलों हेतु,

(ग) मानक उपाधियों का प्रदान किया जाना,

(घ) उपाधियों को प्रदान किये जाने के लिए दीक्षान्त समारोह का आयोजन ,

(ङ.) डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं का प्रत्याहरण,

(च) संकाय, विभाग, छात्रावास, महाविद्यालय और संस्थाओं की स्थापना, अनुरक्षण और उनका समापन,

(छ) महाविद्यालयों की सम्बद्धता की शर्तें और सम्बद्ध महाविद्यालयों की सम्बद्धता का प्रत्याहरण,

(ज) फैलोशिप, स्कॉलरशिप, स्टूडेंटशिप, मेडल, पुरस्कार इत्यादियों को संस्थित करना,

(झ) प्राधिकारियों के निर्वाचन की प्रकिया और प्राधिकारियों की बैठक में अनुश्रवण की जाने वाली प्रकिया जिसमें कार्य के लिए गणपूर्ति का निर्धारण यदि इस अधिनियम में कोई मानक न बनाये गये हों, सम्मिलित है,

(ञ) विश्वविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यलयों के शिक्षकों का वर्गीकरण,

(ट) वसीयत, दान और विन्यास की प्राप्ति और प्रबन्धन,

(ठ) स्नातकों का पंजीकरण और विभिन्न कक्षाओं के पंजीकृत

स्नातकों की पंजिका का रख रखाव, अन्य सभी मामले जो इस अधिनियम के अधीन सरकार जो अपेक्षा करे।

(ङ) अधिनियम के अन्य वे सभी बिन्दु जिन पर राज्य सरकार को विनियम बनाने है।

(2) सरकार विश्वविद्यालय में कतिपय पदों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्गों के नागरिकों के लिए समय–समय पर राज्य की नीति के अनुसरण में आरक्षित करेगी।

(3) प्रत्येक नये विनियम या विनियमों में परिवर्धन या विनियम में किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो उसमें अनुमति दे सकेगा या अनुमति रोक सकेगा या कार्य परिषद् के विचारार्थ उसे लौटा सकेगा।

(4) किसी नये विनियम या किसी विद्यमान विनियम का संशोधन या निरसन करने वाले विनियम की तब तक कोई वैधता नहीं होगी, जब तक कुलाधिपति द्वारा उस पर अनुमति न दे दी जाय।

नियम

27. (1) सरकार / कार्यपरिशद इस अधिनियम /विभिन्न परिश्द के संगत नियम बना सकेगी।

(2) नियम–

(क) शैक्षणिक तथा गैर–शैक्षणिक दोनों पदों के लिए भर्ती हेतु उपयुक्त प्रकिया ,

(ख) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का आचरण और कर्तव्यों के निर्वहन में कमी और दुर्व्यहार के मामलों में अनुसरण की जाने वाली अनुशासनिक प्रकिया,

(ग) प्रत्येक प्राधिकारी के सदस्यों को बैठक की तारीख की सूचना और बैठक में आने वाली विषय–वस्तु देना, तथा बैठक की कार्यवाही के अभिलेख को रखना,

(घ) बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रकिया, तथा

(ड.) ऐसे प्राधिकारी से सम्बन्धित सभी मामले जो इस अधिनियम , नियम और अधिनियम में उपबंधित नही किये गये हैं,

(3) प्रत्येक नये नियम या नियमों में परिवर्धन या नियम में किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो उसमें अनुमति दे सकेगा या अनुमति रोक सकेगा या कार्य परिषद् के विचारार्थ उसे लौटा सकेगा।

(4) किसी नये नियम या किसी विद्यमान नियम का संशोधन या निरसन करने वाले नियम की तब तक कोई वैधता नहीं होगी, जब तक कुलाधिपति द्वारा उस पर अनुमति न दे दी जाय।

(5) इस धारा के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से प्रवृत्त होंगे। इन्हें शासकीय गजट में भी प्रकाशित किया जायेगा।

अध्याय– छः

वित्त और लेखे

सामान्य निधि

28. विश्वविद्यालय के पास एक सामान्य निधि होगी जिसमें –

(क) शुल्क, विन्यास और अनुदान यदि कोई हो से आय,

(ख) ऐसी शर्तों पर जैसी अधिरोपित की जाय सरकार से प्राप्त संकलन अथवा अनुदान,

(ग) केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अंतरराष्ट्रीय दान अभिकरणों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनीसेफ से अनुदान जमा की जायेगी।

अन्य निधियां

29. विश्वविद्यालय के पास कोई अन्य ऐसी निधियां होंगी जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाय।

ऋण लेने की शक्ति

30. विश्वविद्यालय सरकार द्वारा विहित प्रयोजनों के लिए बैंक अथवा निगम से धनराशि ऋण ले सकेगी, जहां ऋण लेने वाली धनराशि 5 करोड़ से अधिक हो वहां ऐसे ऋण को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

निधियों का प्रबंधन 31. विश्वविद्यालय की सभी निधियों का प्रबंधन ऐसे होगा जैसे सरकार द्वारा विहित किया जाय।

लेखा परीक्षा कराने हेतु सरकार की निर्देश देने की शक्ति 32. सरकार जब कभी आवष्यक समझे विश्वविद्यालय के लेखों की लेखा परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षकों से जैसा वह निर्देश दे लेखा परीक्षा कराने के आदेश कर सकेगी।

वित्तीय आंकलन 33. (1) कुलपति विश्वविद्यालय के चालू वर्ष का वित्तीय आंकलन को ऐसी तारीख से पूर्व ऐसी रीति से तैयार करेगा जैसा विहित किया जाय और उसे सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) सरकार वित्तीय आंकलन को ऐसे उपांतरणों के साथ अनुमोदित कर सकेगी जैसा वह ठीक समझे और ऐसा कोई व्यय सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय आंकलन के अतिरिक्त नही किया जायेगा।

वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा 34. (1) विश्वविद्यालय वार्षिक लेखे कुलपति के निर्देशन के अधीन तैयार किये जायेंगे और उसकी एक प्रति सरकार को भेजी जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय के लेखे वर्ष में एक बार 15 माह से अधिक नही की अवधि के लिए राज्य लेखा के नियंत्रक द्वारा लेखा परीक्षित किये जायेंगे।

(3) विश्वविद्यालय का परीक्षित लेखा, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ शासकीय गजट में सरकार द्वार प्रकाशित किया जायेगा और उसकी प्रति कार्य परिषद के समक्ष रखी जायेगी।

(4) वार्षिक लेखा कार्य परिषद् की वार्षिक बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा, कार्य परिषद इस पर प्रस्ताव पारित करेगी और उसे सरकार को संसूचित करेगी। सरकार कार्य परिषद द्वारा किये गये विचार से सुझाव प्राप्त करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जैसा ठीक समझे। सरकार कार्य परिषद को उसकी अगली बैठक में सूचना देगी और की गयी कार्यवाही अथवा कार्यवाही न किये जाने के कारण संसूचित करेगी।

वार्षिक रिपोर्ट 35. (1) विश्वविद्यालय एक वार्षिक रिपोर्ट जिसमें ऐसी विवरणियां जैसा

सरकार विहित करे प्रत्येक वित्तीय वर्ष पर तैयार करेगी और सरकार द्वारा विहित ऐसी तारीख को अथवा उससे पूर्व कार्य परिषद को प्रस्तुत करेगी। कार्य परिषद उस पर प्रस्ताव पारित करेगी और सरकार उस पर कार्यवाही करेगी। कृत कार्यवाही से कार्य परिषद को अवगत कराया जायेगा।

(2) वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां कार्य परिषद के प्रस्ताव के साथ सरकार को भेजी जायेगी और विधान सभा समक्ष रखी जायेगी।

अध्याय– सात

महाविद्यालयों की संबद्धता और संस्थाओं की मान्यता

महाविद्यालयों की संबद्धता

36. (1) विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर महाविद्यालय इस धारा में विहित शर्तों की संतुष्टि पर कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय से इस प्रकार संबद्ध होंगे, जैसे कार्यपरिषद् द्वारा की गयी संस्तुति पर विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध महाविद्यालयों और एम सी आई / डी सी आई / एन सी आई / पी सी आई इत्यादि संबंधित परिषदों द्वारा नियत मानकों से संबद्ध होते हैं।

(2) विश्वविद्यालय की संबद्धा के लिए आवेदन करने वाला कोई महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा नियत समय के भीतर कुलसचिव को आवेदन –पत्र भेजेगा और शैक्षिक परिषद यह समाधान करेगी कि –

(क) जहां महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है उसके निकट समुचित विद्यमान उपबंधों में महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की रीति के संबंध में स्थानीय आवश्यकता की आपूर्ति करेगा,

(ख) वह नियमित रूप से गठित शासकीय निकाय के प्रबंधन के अधीन है,

(ग) शैक्षिक बृन्दों की संख्या और अर्हताएं तथा उनकी पदावधि की शर्तें, निर्देश, अध्यापन अथवा परिशिक्षण के लिए महाविद्यालय द्वारा उपबंध किये गये हैं,

(घ) महाविद्यालय का भवन जिसमें वह अवस्थित है उपयुक्त है और महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित महाविद्यालय में माता–पिता अथवा अभिवावकों को छोडकर छात्रों के लिए आवास अथवा भोजन तथा छात्रों के पर्यवेक्षण और कल्याण के लिए उपबंध किये गये हैं,

(ङ.) पुस्तकालय के लिए उपबंध किये गये है अथवा किये जायेंगे,

(च) जहां संबद्धता प्रायोगिक विज्ञान किसी शाखा के लिए ली जानी प्रस्तावित हो वहां इसकी व्यवस्था की गयी है अथवा व्यवस्था की जायेगी और इनमें समुचित रूप से स्थापित प्रयोगशाला अथवा म्यूजियम की व्यवस्था है,

(छ) प्राचार्य और शिक्षक बृन्दों के आवास के लिए महाविद्यालय में अथवा महाविद्यालय के निकट अथवा छात्रों के निवास के लिए स्थान उपलब्ध है,

(ज) महाविद्यालय के वित्तीय स्रोत ऐसे है जो कि उसकी निरंतर अनुरक्षण और पर्याप्त कार्य के लिए उपबंध किये गये हैं, और

(झ) शुल्क निर्धारण के लिए नियम यदि कोई हों, इस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा नियत मानकों के अनुसार छात्रों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस की स्थिति।

(3) इस आश्वासन के साथ आवेदन पत्र प्रेषित किया जायेगा कि महाविद्यालय की संबद्धता के पश्चात प्रबंधन के कोई परिवर्तन तथा शिक्षक बृन्दों में सभी परिवर्तन और उपर्युक्त अपेक्षाओं के किन्हीं परिणामों से सभी परिवर्तन पूर्ण नही किये जाते हैं या पूर्ण नही किये जाने की स्थिति हो उस संबंध में सरकार अथवा ऐसे प्राधिकारी को जिसे सरकार विहित करे, रिपोर्ट की जायेगी।

कुलसचिव ऐसे सभी आवेदनों को जांच रिपोर्ट की प्रति के साथ अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्रार्थना–पत्र की प्राप्ति पर सरकार –

(क) ऐसे मामलों में जैसा आवश्यक और संदर्भित समझा जाय,

कोई सरकार द्वारा सक्षम व्यक्ति अथवा प्राधिकृत व्यक्ति उसकी ओर से स्थानीय जांच के निर्देश देगा,

(ख) ऐसी अग्रेतर जांच जो आवश्यक समझी जाय कर सकेगा, और

(ग) आवेदन–पत्र को स्वीकार किया जाय अथवा नही के प्रश्न पर खण्ड (क) और खण्ड (ख) के अधीन किसी जांच के परिणाम पर पूर्ण अथवा किसी भाग के लिए शैक्षिक परिषद के परामर्श के पश्चात अपनी राय अंकित करेगा।

(5). सम्बद्धता हेतु समय सारणी, प्रक्रिया तथा शुल्क का निर्धारण समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

(6) कुलसचिव ऐसे समय पर जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आवेदन और सभी कार्यवाहियां यदि कोई हों को जमा करने के लिए विहित करे शैक्षिक परिषद् सरकार को प्रेषित करेगी जिसे ऐसी जांच के बाद जैसी आवश्यक हो उस आवेदन –पत्र अथवा उसके किसी भाग को स्वीकार करने के लिए संस्तुति अथवा आवेदन–पत्र अथवा उसके किसी भाग को अस्वीकार करने की स्थिति से अवगत करायेगा और विश्वविद्यालय तदनुसार आदेश जारी करेगा।

(7) जहां आवेदन–पत्र अथवा उसके किसी भाग को स्वीकार किया जाता है विश्वविद्यालय के आदेश में महाविद्यालय के संबद्धता की अवधि और उसके संदर्भ में निर्देश विहित करेगा तथा आवेदन–पत्र और उसका कोई भाग को अस्वीकार किया जाता है, वहां ऐसे अस्वीकार के आधार विश्वविद्यालय अथवा सरकार द्वारा उल्लिखित किये जायेंगे,

परन्तु यह कि सरकार की संस्तुति पर किसी महाविद्यालय को स्थायी संबद्धता प्रदान की जा सकेगी जिसे लगातार 5 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा तथा संबद्धता की सभी शर्तों को पूर्ण करने और समय–समय

पर विश्वविद्यालय द्वारा विहित, शैक्षणिक और प्रशासनिक मानकों को पूर्ण की जायेगी।

(8) सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा उसके आदेश के पश्चात् यथाशीघ्र कुलसचिव उपधारा (4) तथा (6) और उससे समंधित समस्त कार्यवाही के अधीन की गयी कार्रवाही आवेदन पत्र के सम्बन्ध में पूर्ण रिपोर्ट कार्य परिषद को प्रस्तुत करेगा।

(9) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन–पत्र उपधारा (5) के अधीन दिये गये आदेश से पूर्व किसी समय वापस ली जा सकेगी।

(10) जहां कोई महाविद्यालय संबद्धता के संबंध में दिये गये निर्देश के संबंध में कोई पाठयकम जोडना चाहता है तो उपधारा (2) से (8) में उल्लिखित विहित प्रकिया का पालन किया जायेगा।

(11) (क) विश्वविद्यालय अथवा सामान्य स्थिति अध्ययन के किसी नये पाठयकम की संबद्धता प्राप्त विद्यमान महाविद्यालय द्वारा जैसी स्थिति हो ऐसे नये महाविद्यालय को संबद्धता स्वीकृत है अथवा अध्ययन के ऐसे पाठयकम के संबंध में विद्यमान महाविद्यालय है, से संबद्धता प्राप्त कोई नया महाविद्यालय किसी छात्र का प्रवेश नही लेगा,

(ख) विश्वविद्यालय अथवा सरकार जैसी स्थिति हो, द्वारा नियत संख्या से अधिक अध्ययन के पाठयकम में छात्रों की अधिकतम संख्या और निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में प्रवेश अवैध होंगे।

(ग) खण्ड (ख) के अधीन अवैध किया गया छात्र का प्रवेश अनर्ह होगा और विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में उपस्थित नही हो सकेगा।

कतिपय संस्थाओं की मान्यता

37. (1) कोई संस्था महाविद्यालय के इतर जो विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर अथवा बाहर अवस्थित हो जिसमें शोध अथवा विशिष्ट अध्ययन संचालित है इन प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति और शर्तों के अध्यधीन जैसा राज्य सरकार विहित करे, मान्यता प्राप्त संस्था के रूप में सरकार द्वारा मान्यता दी जा सकेगी ।

(2) ऐसी कोई मान्यता पूर्ण रूप में अथवा भाग में अथवा उपांतरित रूप में ऐसी रीति और ऐसे कारणों से जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय प्रत्याहरित की जा सकेगी।

महाविद्यालयों का निरीक्षण और रिपोर्ट

38. (1) प्रत्येक संबद्ध महाविद्यालय कुलसचिव को ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां और अन्य सूचनाएं जैसा कि शैक्षिक परिषद महाविद्यालय अथवा संस्था की दक्षता को जांच करने के लिए अपेक्षित समझे, उपलब्ध करायेगा।

(2) सरकार प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय का समय–समय पर इस संबंध में एक अथवा एक से अधिक सक्षम व्यक्तियों से निरीक्षण करा सकेगा।

(3) सरकार इस प्रकार निरीक्षित महाविद्यालय को विहित अवधि के भीतर धारा 36 की उपधारा (2) में संदर्भित मामलों के किसी संबंध में ऐसी कार्रवाही के लिए बुला सकेगी।

संबद्धता का प्रत्याहरण

39. (1) धारा 36 की उपधारा (2) के किन्हीं उपबंधों के अनुपालन में असफल होने पर अथवा उसकी संबद्धता की किसी शर्तों के अनुपालना में असफल रहने अथवा शिक्षा के हित में व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना संचालित किया जा रहा है तो किसी महाविद्यालय को दी गयी संबद्धता को कार्यपरिषद् कुलाधिपति की पूर्वानुमोदन से पूर्ण रूप से अथवा भाग में अथवा उपांतरित रूप में प्रत्याहरित की जा सकेगी।

(2) प्रत्याहरण अथवा ऐसे अधिकार के उपांतरण का कोई संकल्प केवल कार्य परिषद में लाया जा सकेगा, कार्य परिषद के सदस्य जो ऐसे किसी संकल्प को लाना चाहते हैं लिखित रूप में आधार के साथ सूचना दे सकेंगे।

(3) कार्य परिषद में उक्त संकल्प को विचारार्थ लिये जाने से पूर्व नोटिस की प्रति और उपधारा (2) में लिखित विवरण संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को इस सूचना के साथ कि यदि कोई

प्रत्यावेदन लिखित में विहित अवधि के भीतर दी जानी हो तो उसे कार्य परिषद को विचारार्थ भेजा जाय, भेजी जायेगी,

परन्तु यह कि इस प्रकार विहित अवधि को यदि आवश्यक हुआ तो कार्य परिषद द्वारा विस्तारित किया जा सकेगा।

(4) उपधारा (3) में संदर्भित अवधि की समाप्ति पर अथवा प्रत्यावेदन की प्राप्ति पर कार्य परिषद् संकल्प के नोटिस विचार करने के पश्चात् विवरण तथा प्रत्यावेदन और इस संबंध में प्राधिकृत कोई सक्षम व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसे निरक्षण के पश्चात् तथा ऐसी अग्रतर जांच जो आवश्यक हो, और शैक्षिक परिषद से परामर्श के पश्चात सरकार को रिपोर्ट करेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर कार्य परिषद ऐसी अग्रेतर जांच के पश्चात यदि कोई हो जो उसके राय में मामले के लिए आवश्यक हो, जांच करा सकेगी,

परन्तु यह कि कार्य परिषद का जब तक कि कार्य परिषद की बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित नही हो जाता तब तक कोई प्रस्ताव संबद्धता के प्रत्याहरण की संस्तुति को इसके द्वारा पारित प्रस्ताव समझा जायेगा।

(6) कुलसचिव कार्य परिषद में सरकार से संबंधित यदि कोई प्रस्ताव हो ऐसी जांच के पश्चात यदि कोई हो जो आवश्यक समझी जाय विश्वविद्यालय को संस्तुति कर सकेगी जिस पर तत्पश्चात ऐसा आदेश जैसा ठीक समझा जाय किया जा सकेगा।

(7) जहां उपधारा (6) के अधीन प्रदत्त संबद्धता को पूर्ण रूप से अथवा भाग में अथवा उपांतरित रूप प्रत्याहरित करने का कोई आदेश जारी किया जाय वहां ऐसे प्रत्याहरण अथवा उपांतरण के लिए आदेश में आधार उल्लिखित करने होंगे।

अध्याय – आठ

सामान्य

पदों की रिक्ति

40. (1) विश्वविद्यालय की किसी प्राधिकारी अथवा निकाय के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त कोई सदस्य कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा अपने पद त्याग–पत्र दे सकेगा, और ऐसा त्याग–पत्र रजिस्ट्रार द्वारा पत्र की प्राप्ति पर प्रभावकारी होगा।

(2) कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा निकाय का किसी विशेष प्राधिकारी अथवा निकाय अथवा कोई विशेष नियुक्ति धारक सदस्य के हैसियत से नियुक्त सदस्य है, वह केवल कि विशेष प्राधिकारी अथवा निकाय अथवा विशेष नियुक्ति धारक जैसी स्थिति हो सदस्य के रूप में अपने पद पर बने रहेगा।

(3) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा निकाय का कोई सदस्य जो किसी नैतिक अधमता के अपराध में संलग्न हो किसी न्यायालय द्वारा अभियोजित किया जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

41. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा निकाय के पदेन सदस्य से अतिरिक्त सदस्यों की सभी आकस्मिक रिक्तियां ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे किसी व्यक्ति अथवा निकाय के लिए नामित किया गया है शीघ्रताशीघ्र भरी जायेगी जिससे पद रिक्त हुआ है, और आकस्मिक रिक्ति पर नामित व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी अथवा निकाय की ऐसी अवधि के लिए जिसके लिए वह व्यक्ति सदस्य के रूप में उसके स्थान पर नियुक्त किया गया है, कार्य करेगा।

परन्तु यह कि यदि ऐसी रिक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय के सदस्य की अवधि की समाप्ति की तारीख से छः माह पूर्व उत्पन्न होती है तो ऐसी आकस्मिक रिक्ति नही भरी जायेगी।

सदभावपूर्वक की गयी कार्यवाही के लिए संरक्षण

42. इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन सदभावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए अभियोजन या अन्य विहित कार्यवाही विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय के कर्मचारी के विरूद्व नही होगी।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की कार्यवाही का रिक्ति के कारण अविधिपूर्ण न होना

43. विश्वविद्यालय के किसी कृत्य अथवा किसी प्राधिकारी की कार्यवाही या अन्य निकाय के कोई कार्यवाही इस कारण अविधिमान्य नही होगी कि उसमें कोई रिक्ति विद्यमान थी अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय के किसी सदस्य के चयन, अथवा नियुक्ति में कोई अनिमियतता थी अथवा ऐसा कृत्य अथवा कार्यवाही में कोई कमी अथवा अनिमितता थी ।

विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों के मध्य विवाद

44. यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय के किसी सदस्य के मामले में यह प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति सम्यक रूप से चयनित अथवा नामित होने के लिए अर्ह है या नही तो ऐसा प्रश्न कुलाधिपति को संदर्भित किया जायेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा।

प्रथम कुलपति की संक्रमणकालीन शक्तियां

45. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से छः माह अथवा सरकार द्वारा अधिसूचना में निर्देशित एक वर्ष से अधिक अवधि के भीतर विश्वविद्यालय के परिषद और अन्य प्राधिकारियों के गठन के लिए व्यवस्था करने का दायित्व प्रथम कुलपति का होगा।

(2) प्रथम कुलपति कुलाधिपति के परामर्श से विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के लिए आवश्यक नियम बनायेगा।

(3) प्रथम कुलपति का यह दायित्व होगा कि वह सरकार के लिए तुरन्त आवश्यक ड्राफ्ट तैयार करे और उसे सक्षम प्राधिकारियों को अनुमोदन के लिए अग्रेषित करे।

(4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम के अधीन सम्यक रूप से गठित प्राधिकारी के समय तक प्रथम कुलपति इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी की नियुक्ति अथवा किसी समिति का गठन अस्थाई रूप से करेगा और वह ऐसे प्राधिकारी की किसी शक्तियों का प्रयोग और दायित्वों का निर्वहन करेगा।

कुलपति तथा अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना

46. विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी और अन्य

कर्मचारी इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधो के अनुसरण में किये जाने वाले किसी कार्य अथवा कार्य हेतु भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्वयन में लोक सेवक समझे जायेंगे।

नियमों आदि की निरन्तरता

47. जब तक इस अधिनियम के समुचित उपबंधों के अधीन कोई नियम और विनियम नही बनाये जाते तब तक इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त उत्तराखण्ड सरकार के अधीन बनाये गये नियम सरकार की माध्यम से कुलाधिपति के अनुमोदन के साथ कुलपति द्वारा किये गये ऐसे अनुकूलन तथा उपांतरण के साथ जैसा कि वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, तब तक ऐसे नियम आदेश विनियम इस अधिनियम के समुचित उपबंधों के अधीन बनाये गये समझे जायेंगे।

कतिपय परीक्षाओं की व्यावृत्ति

48. (1) इस अधिनियम अथवा नियमों में किसी बात के होते हुए भी-

(क) कोई छात्र जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व कुमांउ विश्वविद्यालय, गढवाल विश्वविद्यालय अथवा राज्य के किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्वास्थ्य विज्ञान में किसी डिग्री के लिए अध्ययनरत है वह तब तक कुमांउ और गढवाल विश्वविद्यालय तथा राज्य के अन्य संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षायें ली जायेंगी और ऐसी परीक्षा के परिणामों में अर्ह होने के लिए अन्तर विश्वविद्यालयों के चिकित्सा विज्ञान में डिग्री प्रदान करेंगे।

(ख) यदि कुमांऊ विश्वविद्यालय और गढवाल विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय कोई परीक्षा संचालित करता है जिसका परिणाम प्रकाशित हो चुका है किन्तु उक्त विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री प्रदान अथवा जारी अथवा परीक्षा परिणाम प्रकाशित नही किया गया है, तो ऐसी परीक्षा कुमांऊ विश्वविद्यालय, गढवाल विश्वविद्यालय और राज्य के अन्य संबंधित विश्वविद्यालय से सम्पादित जायेंगी।

अधिनियम का अन्य विधियों पर प्रभाव

49. इस अधिनियम और इस अधिनियम के अधीन बनाये गये कोई नियम विश्वविद्यालय में किसी महाविद्यालय के संदर्भ में भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची में उल्लिखित मामलों के संदर्भ में कोई अन्य विधि में कोई असंगत बात के होते हुए भी यह अधिनियम प्रभावी होगा।

कठिनाईयों का निवारण

50. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई आती है तो सरकार राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर ऐसी कठिनाई को जिसे वह निराकरण करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से तीन वर्ष तक कार्यकारी आदेश द्वारा दूर कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किये गये आदेश को किसी न्यायालय में इस आधार पर कि उक्त उपधारा में संदर्भित कठिनाई विद्यमान नही थी अथवा सुधार करने की अपेक्षा नही थी, प्रश्नगत नही की जा सकेगी।

(3) इस धारा के अधीन प्रकाशित प्रत्येक आदेश इसके प्रकाशन के पश्चात यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन एवं व्यावृत्ति

51. (1) उत्तराखण्ड हेमवती नन्दन बहुगुणा सम्बद्धक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2013 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

के०डी० भट्ट,
प्रमुख सचिव।

No. 72/XXXVI(3)/2014/07(1)/2014
Dated Dehradun, February 18, 2014

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Hemwati Nandan Bahuguna Medical Education University Act, 2014'** (Adhiniyam Sankhya 05 of 2014).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 17 February, 2014.